सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

(मैनुअल–5)

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

678 प्र.सं. 9-7-20

उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग–2
संख्या– 82 /XXII-2/2020–01(01)2009
देहरादून : दिनांक 3 जुलाई, 2020

अधिसूचना संख्याः 81 /XXII-2/2020–01(01)2009 दिनांकः 3 जुलाई, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग राजपत्रित सेवा, (संशोधन) नियमावली, 2020 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ/समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
9. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
11. समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की (हरिद्वार) को नियमावली की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया नियमावली को गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 200 प्रतियां सूचना अनुभाग उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग–02
संख्या– 81 /XXII-2/2020-1(1)2009
देहरादून: दिनांक 7 जुलाई, 2020

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "उत्तरांचल सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग राजपत्रित सेवा नियमावली, 2006" में अग्रेतर संशोधन किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग राजपत्रित सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग राजपत्रित सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 6 का संशोधन 2. उत्तरांचल सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग राजपत्रित सेवा नियमावली, 2006 जिसे यहां एतस्मिनपश्चात् मूल नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
6. उत्तरांचल राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों तथा और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।	6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

नियम 8 का संशोधन 3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
शैक्षिक अर्हताएं 8. 1. सम्पादक	**अनिवार्य (क) अनिवार्य**	**(क) अनिवार्य अर्हताएं**
	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत साहित्य के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।	**(एक)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत साहित्य के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
	(दो) किसी प्रमुख दैनिक या मासिक समाचार पत्र में या सरकार के किसी विभाग में पत्रकारिता या सम्पादकीय कार्य का पांच वर्ष का अनुभव।	**(दो)** किसी प्रमुख दैनिक या मासिक समाचार पत्र में या सरकार के किसी विभाग में पत्रकारिता या सम्पादकीय कार्य का पांच वर्ष का अनुभव।
	(ख) अधिमानी अर्हता	**(ख) अधिमानी अर्हता**
	अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा:–	अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा:–
	(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो	**(एक)** जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो
	या	या
	(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	**(दो)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो
2.सूचना अधिकारी /जिला सूचना अधिकारी	**(क) अनिवार्य अर्हताएं**	**(क) अनिवार्य अर्हताएं**
	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि एवं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से

	(दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पत्रकारिता में डिप्लोमा।	पत्रकारिता में एक वर्ष का डिप्लोमा। **अथवा** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक उपाधि।
	(ख) अधिमानी अर्हता	**(ख) अधिमानी अर्हता**
	अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगाः–	अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगाः–
	(एक) समाचार पत्रों और पत्र पत्रिकाओं में लेख, पटकथा और फीचर लिखने का तीन वर्ष का अनुभव।	**(एक)** समाचार पत्रों और पत्र पत्रिकाओं में लेख, पटकथा और फीचर लिखने का तीन वर्ष का अनुभव।
	(दो) सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से संगीत/प्रकाशन–व्यवस्था/अभिनय/निर्देशन इत्यादि में डिप्लोमा।	**(दो)** सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से संगीत/प्रकाशन–व्यवस्था/ अभिनय /निर्देशन इत्यादि में एक वर्षीय डिप्लोमा।
	(तीन) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	**(तीन)** जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
3. फीचर लेखक	**(क) अनिवार्य अर्हताएं**	**(क) अनिवार्य अर्हताएं**
	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।	**(एक)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।
	(दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पत्रकारिता में डिप्लोमा अथवा स्नातक।	**(दो)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पत्रकारिता में डिप्लोमा अथवा स्नातक।

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
(ख) अधिमानी अर्हता	(ख) अधिमानी अर्हता
अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगाः–	अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगाः–
(एक) समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लेख, पटकथा और फीचर लेखन का तीन वर्ष का अनुभव।	(एक) समाचार पत्रों और पत्र–पत्रिकाओं में लेख, पटकथा और फीचर लेखन का तीन वर्ष का अनुभव।
(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से संगीत/प्रकाशन–व्यवस्था/अभिनय/निर्देशन इत्यादि में डिप्लोमा।	(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से संगीत/प्रकाशन–व्यवस्था/अभिनय/निर्देशन इत्यादि में एक वर्षीय डिप्लोमा।
	(तीन) जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो

नियम 9 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 9 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

आयुः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं, तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष को 01 जनवरी को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं, तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणीयों के अभ्यर्थियों के	सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाय, 01 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 42 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणीयों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाये, अधिकतम आयु सीमा उतनी बढ़ायी जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

नियम 12 का संशोधन 5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
12. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाये। परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।	12. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नही है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उसे- आयुर्विज्ञान परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परन्तु पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नही होगा। परन्तु यह और भी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम, संख्या-49 वर्ष 2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अर्न्तगत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगो को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

परिशिष्ट का संशोधन — 6. मूल नियमावली में परिशिष्ट को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

परिशिष्ट(क)
नियम 4(2)देखिये

क्र.सं.	पद का नाम	वेतन लेवल एवं वेतनमान	स्थाई	अस्थाई	कुल पदों की संख्या
1	अपर निदेशक	लेवल–13, ₹ 18500–214100	–	01	01
2	संयुक्त निदेशक	लेवल–12, ₹ 78800–209200	01	01	02
3	उपनिदेशक	लेवल–11, ₹ 67700–208700	02	02	04
4	सहायक निदेशक	लेवल–10, ₹ 56100–177500	03	04	07
5	सहायक निदेशक (तकनीकी)	लेवल–10, ₹ 56100–177500	01	–	01
6	सम्पादक	लेवल–10, ₹ 56100–177500	–	01	01
7	सूचना अधिकारी	लेवल–7, ₹ 44900–142400	07	11	18
8	जिला सूचना अधिकारी	लेवल–7, ₹ 44900–142400	13	–	13
9	फोटो/फिल्म अधिकारी	लेवल–7, ₹ 44900–142400	01	–	01
10	व्यवस्थाधिकारी	लेवल–7, ₹ 44900–142400	–	01	01
11	फीचर लेखक	लेवल–7, ₹ 44900–142400	–	01	01

आज्ञा से

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no81/XXII-2/2020-1(1)/2009for general information.

Uttarakhand Government
Information Section-02
No- 81 /XXII-2/2020-1(1) 2009
Dehradun, Dated: 3 July, 2020

Notification

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, is pleased to make the following rules further to amend the Uttarakhand Information And Public Realtions Department Gazetted Service Rules , 2006; namely-

The Uttarakhand Information and Public Relations Department Gazetted Service (Amendment) Rules, 2020

Short title and commencement: **1.** 1.These rules may be called the Uttarakhand Information and Public Relations Department Gazetted Service (Amendment) Rules, 2020

2. It shall come into force at once.

Amendment of Rule 6 **2.** In the Uttarakhand Information and Public Relations Department Gazetted Service Rules, 2006 hereinafter referred to as the prinicipal rules for the existing rule 6 set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be substituted namely:

Column 1 (Existing Rule)	Column 2 Rule as hereby substituted
6. Reservation for scheduled caste, scheduled tribe, other backward casts and other category candidates of Uttarakhand state will be done as per the orders of the government at the time of recruitment.	6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes, Economically weaker section and other categories of Uttarakhand State shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

Amendment of Rule 8 — 3. In the prinicpal rules for the existing rule 8, set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be substituted namely:

Educational Qualification	Column 1 (Existing Rule)	Column 2 Rule as hereby substituted
1. Editor	**(a) Essential Qualification** (i) Bachelor degree with Hindi or Sanskrit literature subject from University established by law in India or any equivalent qualification recognized by the Government. (ii)Five years experience of journalism or editorial work in a leading daily or monthly newspaper or in any Government Department. **(b) Preferential Qualification** A candidate who has (i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years. Or (ii) Have obtained B certificate of National Cadet Corps. shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.	**(a) Essential Qualification** (i) Bachelor degree with Hindi or Sanskrit literature subject from University established by law in India or any equivalent qualification recognized by the Government. (ii)Five years experience of journalism or editorial work in a leading daily or monthly newspaper or in any Government Department. **(b) Preferential qualification** A candidate who has (i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years. Or (ii) Have obtained B or C certificate of National Cadet Corps. shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.
2.Information officer/ District Information officer	**(a) Essential Qualification** (i) Bachelor degree with Hindi subject from a University established by law in India or any equivalent degree recognized by the Government.	**(a) Essential Qualifications** Bachelor degree with any subject from a University established by law in India or any equivalent degree recognized by the Government and one year diploma in journalism from a recognized university established by law in

	(ii) Diploma in journalism from a university established by law in India or any equivalent diploma recognized by the Government.	India or any equivalent degree recognized by the Government. Or Bachelor degree in Journalism from a recognized university established by law in India.
	(b) Preferential Qualification	**(b) Preferential Qualification**
	A candidate who has	A candidate who has
	(i) 3 years experience of writing articles, scripts and feature writing in newspapers and magazines.	(i) 3 years experience of writing articles, scripts and feature writing in newspapers and magazines.
	(ii) Diploma in Music, Publication Management, Acting and Direction etc. from any institution recognized by the government.	(ii) One year diploma in Music, Publication Management, Acting and Direction etc. from any institution recognized by the government.
	(iii) served in the Territorial Army. for a minimum period of two years.	(iii)served in the Territorial Army for a minimum period of two years.
	Or	Or
	Have obtained B certificate of National Cadet Corps.	Have obtained B or C certificate of National Cadet Corps.
	shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.	shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.
	(a) Essential Qualification	**(a) Essential Qualification**
2. Feature writer	(i) Bachelor degree with Hindi subject from University established by law in India or any equivalent degree recognized by the Government.	(i) Bachelor degree with Hindi subject from University established by law in India or any equivalent degree recognized by the Government.
	(ii) Graduation or Diploma in journalism from a university	(ii) Graduation or Diploma in journalism from a university

established by law in India or any equivalent diploma recognized by the Government.	established by law in India or any equivalent diploma from a institution recognized by the Government.
(b) Preferential Qualification	**(b) Preferential Qualification**
A candidate who has	A candidate who has
(i) 3 years experience of writing articles, scripts and feature writing in newspapers and magazines.	(i) 3 years experience of writing articles, scripts and feature writing in newspapers and magazines.
(ii) Diploma in Music, Publication Management, Acting and Direction etc. from any recognized institution by the government of India.	(ii) One year diploma in Music, Publication Management, Acting and Direction etc. from any recognized institution by the government of India.
shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.	(iii) served in the Territorial Army for a minimum period of two years. Or Have obtained B or C certificate of National Cadet Corps. shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

ent of 4. In the principal rules for the existing rule 9, set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be substituted namely:

Column 1 (Existing Rule)	Column 2 Rule as hereby substituted
Age of applicant for direct recruitment, if the posts are advertised during the period from January 1 to June 30, So on January 1 of that year, age of applicant should be 21 years and a maximum of 35 years. If the posts are advertised during the period from July 1 to December 31, age of candidate should be 21 years and a maximum of 35 years on July 1st of that year. But in the cases of	A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 42 years on July 1 of the year in which vacancies are advertised. **Provided** that upper age limit in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, scheduled tribes, other backward classes and other such categories, which may be notified by the

	candidates belonging to Scheduled Castes, scheduled tribes, other backward classes and other such categories, which may be notified by the Government from time to time, the maximum age will be increased as prescribed.	Government from time to time, shall be greater by such number of years as may be prescribed.

Amendment of of Rule 12

5. In the principal rules for the existing rule 12, set out in Column *1 below, the* rule as set out in Column 2 shall be substituted namely:

	Column 1 (Existing Rule)	***Column 2 Rule as hereby substituted***
Physical fitness	A person shall not be appointed to a position unless he is in good health, both mentally and physically, and is not equipped with any physical defects which may cause him to be obstructed in performing his duties efficiently. Before a candidate is finally approved for appointment, the candidate will be expected to be successful in the medical examination conducted by the Medical Council. **But** a fitness certificate will not be expected from the candidates recruited by promotion.	No candidate shall be appointed to a post in service unless he is in good mental and physical health and free from any physical defects likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment – the candidate has to pass the examination of Medical Council. **Provided** that a medical certificate shall not be required from a candidate appointed by promotion: **Provided** further that in order of Section 33, the posts identified for this purpose and the categories identified under Section 34 of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 (Act no. 49 of 2016), shall not be denied for appointment as per rules

By Order

(Dilip Jawalkar)
Secretary

Amendment of Appendix 6. In principal rules, the Appendix shall be substituted as follows, namely:-

Appendix
See rule 4(2)

S.No	Name of Post	Pay matrix level	Permanent	Temporary	No of Total Posts
1	Additional Director	Level - 13 -18500-214100	00	01	01
2	Joint Director	Level - 12-78800-209200	01	01	02
3	Deputy Director	Level - 11 -67700-208700	02	02	04
4	Assistant Director	Level - 10 - 56100-177500	03	04	07
5	Assistant Director (Tech.)	Level - 10 - 56100-177500	01	00	01
6	Editor	level – 10 - 56100-177500	00	01	01
7	Information Officer	Level – 07- 44900- 142400	07	11	18
8	District Information Officer	Level – 07- 44900- 142400	13	00	13
9	Photo Film Officer	Level – 07- 44900- 142400	01	00	01
10	Management Officer	Level – 07- 44900- 142400	00	01	01
11	Feature Writer	Level – 07- 44900- 142400	00	01	01

By Order

(Dilip Jawalkar)
Secretary

उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग–01
संख्या : 17 /XXII(1)/2021-7(11)2012
देहरादून दिनांक : 28 जनवरी,2021

अधिसूचना

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 के परन्तुक सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम,1904(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2015 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन (संशोधन) नियमावली,2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन (संशोधन) नियमावली,2020 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–10 का संशोधन

2. **उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियमावली कहा गया है) के नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात**

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
10. उत्तराखण्ड सरकार के समस्त शासकीय विभागों के वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापन सूचना विभाग के महानिदेशालय (मुख्यालय) के माध्यम से ही जारी किये जायेंगे। अनियमित समाचार पत्रों को किसी भी दशा में विज्ञापन जारी नही किये जायेंगे।	10. प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों के सजावटी विज्ञापन का प्रकाशन सूचना विभाग के महानिदेशालय (मुख्यालय) द्वारा किया जायेगा। वर्गीकृत विज्ञापन का प्रकाशन सम्बन्धित विभागों द्वारा स्वयं कराया जायेगा। अनियमित समाचार पत्रों को किसी भी दशा में विज्ञापन जारी नहीं किये जायेंगे तथा वर्गीकृत विज्ञापन उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 में उपबन्धित व्यवस्था के अंतर्गत ही समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे।

नियम–13 का संशोधन

3. **मूल नियमावली में नियम स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (ग) के नियम 13 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात**

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
13 (ग). राज्य सरकार के समस्त शासकीय विभागों द्वारा जारी किये जाने वाले सभी वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापन डी.ए.वी.पी./विभागीय दरों पर प्रकाशित कराया जायेगा। ऐसे निगम, उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, परिषद, बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं स्थानीय निकायों जिनके विज्ञापन प्रमुख समाचार पत्रों द्वारा डी.ए.वी.पी./विभागीय दर पर प्रकाशित नहीं किये जाते हैं, वे स्वयं अपने स्तर से विज्ञापन प्रकाशन हेतु स्वतंत्र होंगे, ऐसे विज्ञापनों का भुगतान भी सम्बन्धित द्वारा किया जायेगा।	**13 (ग).** राज्य सरकार के समस्त शासकीय विभागों द्वारा विज्ञापित किये जाने वाले सभी वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापन का प्रकाशन व भुगतान डी.ए.वी.पी./सूचना विभाग द्वारा नियत दरों पर सम्बन्धित विभागों द्वारा स्वयं किया जायेगा।ऐसे निगम, उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, परिषद, बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं स्थानीय निकायों जिनके विज्ञापन प्रमुख समाचार पत्रों द्वारा डी.ए.वी.पी./विभागीय दर पर प्रकाशित नहीं किये जाते हैं, वे स्वयं अपने स्तर से विज्ञापन प्रकाशन हेतु स्वतंत्र होंगे, ऐसे विज्ञापनों का भुगतान भी सम्बन्धित द्वारा किया जायेगा।

यम–15 ा संशोधन

4. मूल नियमावली में स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप नियम झ के नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
15 (झ). समस्त शासकीय विभागों के वर्गीकृत विज्ञापनों का भुगतान सूचना विभाग द्वारा किया जायेगा। सजावटी विज्ञापन का भुगतान मूलतः सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जायेगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में सम्बन्धित विभाग के अनुरोध पर सूचना वि भाग द्वारा भी सजावटी विज्ञापन का भुगतान किया जा सकता है।	15 (झ). वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापनों का भुगतान सम्बन्धित विभागों द्वारा स्वयं किया जायेगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में सम्बन्धित विभाग के अनुरोध पर सूचना विभाग द्वारा सजावटी विज्ञापन का भुगतान किया जा सकता है।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
सचिव

संख्या – 17 (1)/XXII(1)/2021-7(11)2012, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त, गढ़वाल / कुमांऊ मण्डल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग–05, उत्तराखण्ड शासन।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
12. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इस नियमावली, का प्रकाशन राजकीय गजट में करते हुए 200 प्रतियां, सूचना अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(एस.एस. टोलिया)
संयुक्त सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 398 of the constitution, Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no............../XXII/(1)/2020-7(11)2012 Dated.................for general information.

Government of Uttarakhand
Information Section-01
Letter No. 1..7....../XXII/(1)/2021-7(11)2012
Deharadun, Dated 28 January,2021

Notification

In exercise the powers conferred by the proviso to article 162 of the Constitution read with the Uttar Pradesh General Clauses Act,1904 (Uttar Pradesh Act No.1 of 1904) (as applicable to the State Of Uttarakhand),the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttarakhand Print Media Advertising Rules,2015:-

The Uttrakhand Print Media Advertising (Amendment) Rules,2020

Short title and Commencement: **1.** 1. These rules may be called the Uttrakhand Print Media Advertising (Amendment) Rules, 2020
2. It shall come into force at once.

Amendment of rule-10 **2.** **In The Uttrakhand Print media Advertising Rules 2015(hereinafter referred to as principal rule)for the exiting rule 10 as set out in column 1 below,the rule set out in column 2 shall be substituted, namely:-**

Column I **Existing Rule**	**Column 2** **Rule as hereby substituted**
10. Classified and Display advertisements of all government departments of Utarakhand will be published through the Directorate of Information & Public Relations Department. Advertisements will not be issued to irregular newspapers in any case.	**10.** Display advertisement of all government departments of the State shall be published by the Directorate of Information and Public Relations. The classified advertisements shall be published by the respective departments themselves. Advertisements shall not be published to irregular newspapers in any case, and classified advertisements shall be published to newspapers under the provision of the Uttarakhand Procurement Rules 2017

Amendment of, Rule-13 **3.** **In the principal rule for existing sub rule (c)of rule 13 set out in Column- 1 ,below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely :-**

Column 1 **Existing Rule**	**Column 2** **Rule as hereby substituted**
13(c). All classified and display advertisements issued by all government departments of the state government will be published at the	**13(c).** All classified and display advertisements published by all government departments of the State

approved rates by DAVP/DIPR Uttarakhand. Such Corporations, Undertaking Autonomous Institutions, Council, Board, University and Local Bodies, whose advertisements are not published by major newspapers at DAVP/ DIPR Uttarakhand rates, will be free to publish advertisements at their own level, such advertisements will be paid by the concerned.	Government shall be paid by the respective departments at the rates fixed by the DAVP/DIPR Uttarakhand. Such Corporations, Undertaking Autonomous Institutions, Council, Board, University and Local Bodies, whose advertisements are not published by major newspapers at DAVP/ DIPR Uttarakhand rates, will be free to publish advertisements at their own level; such advertisements will be paid by the concerned.

Amendment of rule-15

4. In the principal rule for existing sub rule (1) of rule 15 set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing Rule	Column 2 Rule as hereby substituted
15(1). The classified advertisements of all government departments will be paid by Information Department. The display advertisement will be paid by the concerned department, but in special circumstances, the display advertisement can also be paid by the Information Department on the request of the concerned department.	**15(1)**. All classified and display advertisements shall be paid by the respective departments themselves, but in special circumstances, the display advertisements may also be paid by the Information Department on the request of the concerned department.

By Order

(Dilip Jawalkar)
Secretary

Letter Number : ..1...7.../XXII/(1)/2021-7(11)2012, as per dated.
Copy to the followings for sends the Information & Necessary actions:-

1. Chief Secretary, Govt. of Uttarakhand.
2. Accountant General, A&E (Account & ENTITLEMENT) Uttarakhand, Dehradun.
3. Secretary, Governor of Uttarakhand.
4. All Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
5. Secretary, Legislative Assembly of Uttarakhand.
6. Commissioner, Garhwal/Kumanu Mandal, Uttarakhand.
7. All DM's, Uttarakhand State.
8. Personal Secretary, Hon'ble Chief Minister of Uttarakhand.
9. Finance Section-05, Govt. of Uttarakhand.

10. DG, Information & Public Relations of Uttarakhand, Dehradun.
11. N.I.C., Secretariat Campus Uttarakhand,
12. Dy. Director, Govt. Press, Roorkee, Uttarakhand with the intention of this Rules to published in Gazette Notifications & make available 200 copies to Information Section-01, Govt. of Uttarakhand.

(S. S. Tolia)
Joint Secretary

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 2662334

पत्रांकः 01 /सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–03/2001 दिनांक 01 अप्रैल, 2020

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 53/XXII (2)/20–05(06)2018, दिनांक 01 अप्रैल, 2020 तथा पत्र संख्याः 53/XXII(2)/20–05(06)2018, दिनांक 01 अप्रैल, 2020 में दिये गये निर्देशों के क्रम में कोरोना वायरस के बचाव तथा सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संबंध में छद्म खबरें (फेक न्यूज) के संबंध में कार्यवाही करने के लिए सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के **अपर निदेशक, डॉ0 अनिल चन्दोला को नोडल अधिकारी नामित** किया जाता है तथा प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक एवं सोशल मीडिया पर उक्त कार्य करने के लिए सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के निम्न अधिकारियों की तैनाती की जाती है:–

क्र.स.	नाम	पदनाम	संपादित किये जाने वाले कार्य
1.	श्री राजेश कुमार	संयुक्त निदेशक	कोरोना वायरस के संबंध में इलेक्ट्रानिक मीडिया पर फेक न्यूज की मॉनीटरिंग तथा कोरोना वायरस से बचाव एवं सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशा–निर्देशों को इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रचार–प्रसार का कार्य।
2.	श्री आशिष कुमार त्रिपाठी	संयुक्त निदेशक	कोरोना वायरस के संबंध में प्रिन्ट मीडिया, वायस कॉल्स, एस.एम.एस. पर फेक न्यूज की मानीटरिंग का कार्य।
3.	श्री के.एस. चौहान	उप निदेशक	प्रिन्ट मीडिया में कोरोना वायरस के बचाव तथा सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशा–निर्देशों को प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से प्रचार–प्रसार तथा उसका संकलन का कार्य।
4.	श्री रवि विजारनिया	सहायक निदेशक	कोरोना वायरस के संबंध में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की मॉनीटरिंग, कोरोना वायरस से बचाव एवं सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशा–निर्देशों को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार–प्रसार का कार्य।

अतः उपरोक्त समस्त अधिकारी कोरोना वायरस के संबंध में मीडिया में फेक न्यूज की मॉनीटरिंग तथा सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ.मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक

संख्याः 01 (1)/सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–03/2001, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. संबंधित अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।
3. समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद स्तर पर कोरोना वायरस से संबंधित कोई फेक न्यूज संज्ञान में आती है तो आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ.मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांकः ५१५ / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)– 17 / 2010 दिनांक :24 जुलाई, 2020

कार्यालय–आदेश

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–494 / सू.एवं लो.सं.वि.(प्रशा.)–17 / 2010 में आंशिक संशोधन करते हुए सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के मुख्यालय पर कार्यरत निम्नांकित चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को उनकी पूर्व तैनाती से सम्बन्धित समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित अधिकारियों / प्रभागों के साथ सम्बद्ध / तैनात किया जाता है :–

क्र.सं.	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक का नाम एवं पदनाम	तैनाती / सम्बद्धता / आंवटित कार्य
1.	श्री बालम सिंह नगरकोटी, टैक्निकल सहायक	मीडिया सेंटर सचिवालय
2.	श्री रईस अहमद, चपरासी	मीडिया सेंटर सचिवालय
3.	श्री प्रदीप पाल, पी.आर.डी. स्वयं सेवक	मीडिया सेंटर सचिवालय
4.	श्री बिशन दत्त जोशी, चपरासी	विधान सभा मीडिया सेंटर
5.	श्री प्रमोद चन्द्र पंत, टैक्निकल सहायक	विधान सभा मीडिया सेंटर
6.	श्री अभिषेक भारती, चपरासी	राजभवन सूचना परिसर
7.	श्री सुरेन्द्र सिंह, पी.आर.डी. स्वयं सेवक	राजभवन सूचना परिसर
8.	श्री रामदयाल, चपरासी	विज्ञापन अनुश्रवण समिति / प्रशासन प्रभाग
9.	श्री परवेजउल हसन, टैक्निकल सहायक	विज्ञापन प्रभाग
10.	श्री गजेन्द्र सिंह नेगी, अनुसेवक	लेखा प्रभाग / प्रकाशन स्टोर
11.	श्रीमती किरन देवी, टैक्निकल सहायक	फोटो / फिल्म शाखा, श्री शंकर दत्त लोहनी, सहायक निदेशक एवं श्री चन्द्र सिंह तोमर, मुख्य प्रशा0 अधिकारी
12.	श्री खजान दास, पी.आर.डी. स्वयं सेवक	निरीक्षा शाखा
13.	श्री राम सिंह परजोली, अनुसेवक	महानिदेशक / सूचना का अधिकार सेल
14.	श्री मुन्ना लाल, अनुसेवक	निकासी शाखा
15.	श्री विनोद प्रसाद लखेड़ा	प्रेस / गीत नाट्य / सोशल / इलैक्ट्रानिक मीडिया
16.	श्री धर्मेन्द्र कुमार, अनुसेवक	श्री राजेश कुमार, संयुक्त निदेशक / द्वितीय तल
17.	श्री बहादुर सिंह, टैक्निकल सहायक	अपर निदेशक / श्री आशिष कुमार त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक / द्वितीय तल
18.	श्री हरीश राणाकोटी, पी.आर.डी. स्वयं सेवक	स्वागत कक्ष / थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य.
19.	श्री शांति सिंह, पी.आर.डी. स्वयं सेवक	वरिष्ठ वि.त अधिकारी / श्री के.एस. चौहान, उप निदेशक तथा श्री नितिन उपाध्याय / द्वितीय तल
20.	श्री राजेन्द्र सिंह रावत, टैक्निकल सहायक	व्यवस्था शाखा / प्रकाशन प्रभाग
21.	श्री लाल सिंह रौतेला, पी.आर.डी. स्वयं सेवक	रात्रि चौकीदारी

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. अनिल चंदोला)
अपर निदेशक

पत्रांकः ५१५ (1) / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)– 17 / 2010, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि : 1. मुख्यालय के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों / प्रभागों / शाखाओं को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सम्बन्धित अधिकारियों को।
3. सम्बन्धित कार्मिकों की निजी पत्रावली हेतु।
4. विभागीय वेबसाईट हेतु।

24/7

(डॉ. अनिल चंदोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 2662334

पत्रांकः 620 / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–03 / 2001 दिनांक 02 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2020

कार्यालय आदेश

कार्य आंवटन विषयक पूर्व में निर्गत आदेशों को अतिक्रमित करते हुए सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नांकित अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य आवंटित किया जाता है:–

क्र.सं.	अधिकारी का नाम / पदनाम	आवंटित कार्य
1.	डॉ. अनिल चन्दोला अपर निदेशक	कार्यालयाध्यक्ष का समस्त कार्य।
1.	श्री राजेश कुमार, संयुक्त निदेशक	1. इलेक्ट्रानिक मीडिया की सूचीबद्धता, विज्ञापन प्रस्ताव से संबंधित समस्त कार्य। 2. इलेक्ट्रानिक मीडिया के विज्ञापनों की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आर.ओ. जारी करने का कार्य। 3. होर्डिंग्स / आउटडोर प्रचार का समस्त कार्य। 4. इलेक्ट्रानिक मीडिया की निरीक्षा के पर्यवेक्षण का समस्त कार्य। 5. सूचना अधिकार से संबंधित अपीलीय अधिकारी का कार्य। 6. मुख्य सचिव, महोदय के प्रचार–प्रसार के पर्यवेक्षण का कार्य। समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
2.	श्री आशिष कुमार त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक	1. मुख्यालय तथा क्षेत्र प्रचार अधिष्ठान से संबंधित समस्त कार्य। 2. व्यवस्था शाखा तथा सामान्य स्टोर से संबंधित समस्त कार्य। 3. निरीक्षा शखा से संबंधित समस्त कार्य। 4. प्रकाशन प्रभाग से संबंधित अन्य समस्त कार्य। 5. निकासी शाखा से संबंधित समस्त कार्य। 6. फोटो–फिल्म से संबंधित समस्त कार्य। 7. वर्गीकृत विज्ञापन जारी करने संबंधी समस्त कार्य। समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
3.	श्रीमती शशि सिंह, वरिष्ठ वित्त अधिकारी	1. विभाग के आय–व्ययक संबंधी समस्त कार्य। 2. विभाग के आडिट / भुतान / आयकर संबंधी समस्त कार्य। 3. विभागीय निविदा तथा कार्य एवं व्यय की स्वीकृति से संबंधित प्रस्तावों के परीक्षण एवं अग्रसारण का कार्य। समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
4.	श्री के. एस. चौहान, उपनिदेशक	1. राष्ट्रीय समारोह से संबंधित समस्त कार्य। 2. विभाग के आहरण–वितरण अधिकारी का कार्य। 3. गीत एवं नाट्य से संबंधित समस्त कार्य। 4. प्रिंट मीडिया की सूचीबद्धता / सजावटी विज्ञापनों के प्रस्ताव तैयार करने तथा स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आर.ओ. जारी करने से संबंधित समस्त कार्य। 5. उत्तराखण्ड राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली के प्रभारी अधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष का कार्य। 6. विभागीय लोक सूचना अधिकारी से सम्बन्धित समस्त कार्य। 7. उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद से संबंधित समस्त कार्य। समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
5.	श्री नितिन उपाध्याय उपनिदेशक	1. सूचना परिसर राजभवन से संबंधित समस्त कार्य। 2. प्रभारी अधिकारी, सूचना परिसर राजभवन। 3. विज्ञापन फिल्मों का निमार्ण एवं भुगतान से संबंधित पत्रावलियॉ तैयार कराने का कार्य। 4. सोशल मीडिया (फेसबुक एवं वट्सअप, ट्वीटर (Twitter)) तथा विभागीय वेबसाइट तथा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित समस्त कार्य। 5. न्यूज पोर्टल की सूचीबद्धता से संबंधित कार्य। 6. वेबसाइट्स पर विज्ञापन निर्गत करने का कार्य। समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 2662334

पत्रांकः /सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–03/2001 दिनांक 02 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2020

कार्यालय आदेश

कार्य आंवटन विषयक पूर्व में निर्गत आदेशों को अतिकमित करते हुए सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नांकित अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य आवंटित किया जाता हैः–

क्र.सं.	अधिकारी का नाम/पदनाम	आवंटित कार्य
1.	श्री भगवान प्रसाद घिल्ड़ियाल विशेष कार्याधिकारी	1. आपदा प्रबन्ध से संबंधित मीडिया समन्वय का समस्त कार्य। 2. सचिवालय में आयोजित होने वाले समस्त बैठकों में प्रतिभाग कर प्रचार–प्रसार संबंधी कार्य। समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
2.	श्री दिनेश कुमार अनुवादक	1. मुख्य सचिव प्रचार यूनिट में प्रभारी सूचना अधिकारी का कार्य। 2. मुख्य सचिव प्रचार यूनिट में प्रचार–प्रसार का कार्य। समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

मुय सचिव महोदय के प्रचार यूनिट के पर्यवेक्षण का कार्य श्री राजश कुमार, संयुक्त निदेशक द्वारा किया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक

संख्याः 621 (1)/सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–03/2001, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
2. वरिष्ठ निजी सचिव–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. समस्त विभागीय अधिकारी/प्रभाग/शाखायें, मुख्यालय।
4. संबंधित अधिकारी।
5. संबंधित अधिकारियों की निजी पत्रावली हेतु।
6. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135–2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांक: 690 /सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–17/2010 दिनांक 25 सितम्बर, 2020

कार्यालय आदेश

कार्य आवंटन विषयक पूर्व में निर्गत आदेशों को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए विभाग के सहायक निदेशक, श्री शंकर दत्त लोहनी को विभागीय वाहनों में ईंधन आपूर्ति की पर्ची निर्गत करने तथा वाहन संख्या: UA07S-0161 के लॉगबुक अंकन का कार्य आवंटित किया जाता है।

श्री लोहनी नियमानुसार उक्त कार्य सम्पादित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक
कृते महानिदेशक

संख्या: 690 (1)/सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–17/2010, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त विभागीय अधिकारी/प्रभाग/शाखायें, मुख्यालय।
3. संबंधित अधिकारी।
4. समस्त वाहन चालक मुख्यालय।
5. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक
कृते महानिदेशक

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135-2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांक: /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)-17/2010 दिनांक 6 अक्टूबर, 2020

कार्यालय-आदेश

कार्य आवंटन सम्बन्धी पूर्व में निर्गत आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के कनिष्ठ सहायक, श्री प्रभाकर सिंह नेगी को निम्न कार्य आवंटित किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	तैनाती प्रभाग /शाखा का नाम	आवंटित कार्य
01.	श्री प्रभाकर सिंह नेगी कनिष्ठ सहायक	व्यवस्था शाखा	1. विभागीय वाहनों एवं सम्बद्ध टैक्सियों के किराया, ईंधन, आदि से सम्बन्धित बीजकों का भुगतान तथा अनुरक्षण का कार्य। 2. टेलीफोन/मोबाईल/इंटरनेट कनेक्शन से संबंधित कार्य एवं भुगतान। 3. अपने पटल से संबंधित सूचना अधिकार एवं मुकदमों से संबंधित समस्त कार्य तथा समय-समय पर उच्चाधिकारियों/व्यवस्थाधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य। **नोट:-संबंधित पत्रावलियाँ व्यवस्थाधिकारी के माध्यम से उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत की जाएगी।**

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक
कृते महानिदेशक

संख्या-731(1)/सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)-17/2010, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागीय अधिकारी/प्रभाग/शाखायें, मुख्यालय।
2. संबंधित कार्मिकों को।
3. संबंधित कार्मिकों की निजी पत्रावली हेतु।
4. विभागीय वेबसाइट हेतु।

6.X.2020

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक
कृते महानिदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135-2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांक: /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)-17/2010 दिनांक 9 नवम्बर, 2020

कार्यालय-आदेश

कार्य आवंटन सम्बन्धी पूर्व में निर्गत आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नांकित कार्मिकों के मध्य निम्नानुसार कार्य आवंटित किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	तैनाती प्रभाग / शाखा का नाम	आवंटित कार्य
1.	श्रीमती सुषमा, वरिष्ठ सहायक	विज्ञापन प्रभाग	1. विभाग में सूचीबद्ध जनपद देहरादून के वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक के डी.ए.वी.पी. साप्ताहिक समाचार पत्रों के बीजकों के भुगतान तथा विज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कार्य। 2. अपने पटल से संबंधित सूचना अधिकार एवं मुकदमों से संबंधित समस्त कार्य। 3. समय-समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
2.	श्रीमती संतोषी नेगी वरिष्ठ सहायक	विज्ञापन प्रभाग	1. विभाग में सूचीबद्ध जनपद देहरादून के वर्ष 2011 से वर्तमान तक के डी.ए.वी.पी. साप्ताहिक समाचार पत्रों के बीजकों के भुगतान तथा विज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कार्य। 2. अपने पटल से संबंधित सूचना अधिकार एवं मुकदमों का समस्त कार्य। 3. समय-समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

उपरोक्त से संबंधित पत्रावलियाँ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, श्री चन्द्र सिंह तोमर के माध्यम से उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत की जायेंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक
कृते महानिदेशक

संख्या: 881 (1)/सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)-17/2010, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त विभागीय अधिकारी/प्रभाग/शाखायें, मुख्यालय।
3. संबंधित कार्मिकों को।
4. संबंधित कार्मिकों की निजी पत्रावली हेतु।
5. विभागीय वेबसाइट हेतु।

5.11.

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक
कृते महानिदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971/फैक्स : 2662334

पत्रांकः /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)– 17/2010 दिनांक : 09 फरवरी, 2021

कार्यालय–आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के मुख्यालय पर कार्यरत निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनकी पूर्व तैनाती से संबंधित समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित अधिकारियों/प्रभागों के साथ सम्बद्ध/तैनात किया जाता है:–

क्र.सं.	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक का नाम एवं पदनाम	तैनाती/सम्बद्धता/आंवटित कार्य
1-	श्री बालम सिंह नगरकोटी, टैक्निकल सहायक	मीडिया सेंटर सचिवालय
2-	श्री रईस अहमद, चपरासी	मीडिया सेंटर सचिवालय
3-	श्री प्रदीप पाल, पी.आर.डी. स्वयं सेवक	मीडिया सेंटर सचिवालय
4-	श्री बिशन दत्त जोशी, चपरासी	विधान सभा मीडिया सेंटर
5-	श्री प्रमोद चन्द्र पंत, टैक्निकल सहायक	विधान सभा मीडिया सेंटर
6-	श्री राजेन्द्र सिंह रावत, टैक्निकल सहायक	राजभवन सूचना परिसर
7-	श्री रामदयाल, चपरासी	प्रशासन प्रभाग/प्रेस प्रभाग/गीत नाट्य प्रभाग
8-	श्री रमेश चन्द्र लोहनी, टैक्निकल सहायक	सूचना का अधिकार सेल/फोटो–फिल्म शाखा/श्री गोपाल सिंह राणा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
9-	श्री परवेजुल हसन, टैक्निकल सहायक	व्यवस्था शाखा/प्रकाशन प्रभाग/श्री चन्द्र सिंह तोमर, मुख्य प्रशा0 अधिकारी
10-	श्री गजेन्द्र सिंह नेगी, अनुसेवक	लेखा प्रभाग/प्रकाशन स्टोर
11-	श्रीमती किरन देवी, टैक्निकल सहायक	स्वागत कक्ष
12-	श्री खजान दास, पी.आर.डी. स्वयं सेवक	निरीक्षा शाखा
13-	श्री राम सिंह परजोली, अनुसेवक	महानिदेशक/अपर निदेशक
14-	श्री मुन्ना लाल, अनुसेवक	निकासी शाखा
15-	श्री विनोद प्रसाद लखेड़ा	सोशल/इलैक्ट्रानिक मीडिया/विज्ञापन अनुश्रवण समिति/श्री रवि विजारनियॉ तथा श्री शंकर दत्त लोहनी, सहायक निदेशक
16-	श्री धर्मेन्द्र कुमार, अनुसेवक	श्री राजेश कुमार, संयुक्त निदेशक/श्री आशिष कुमार त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक
17-	श्री बहादुर सिंह, टैक्निकल सहायक	अपराह्न 2:30 बजे से कार्यालय समाप्ति तक द्वितीय तल स्थित समस्त अधिकारियों के साथ।
18-	श्री हरीश राणाकोटी, पी.आर.डी. स्वयं सेवक	विज्ञापन प्रभाग
19-	श्री शांति सिंह, पी.आर.डी. स्वयं सेवक	वरिष्ठ वित्त अधिकारी/श्री के.एस. चौहान, उप निदेशक तथा श्री नितिन उपाध्याय/द्वितीय तल
20-	श्री लाल सिंह रौतेला, पी.आर.डी. स्वयं सेवक	रात्रि चौकीदारी

उपरोक्त समस्त कार्मिक कार्य न होने की स्थिति में भी अपने प्रभाग के बाहर बैठेंगे तथा अपने अवकाश संबंधी प्रार्थना पत्र संबंधित प्रभारी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. अनिल चंदोला)
अपर निदेशक

पत्रांकः 154 (1)/सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)– 17/2010, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि : 1. मुख्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों/प्रभागों/शाखाओं को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सम्बन्धित अधिकारियों को।
3. सम्बन्धित कार्मिकों की निजी पत्रावली हेतु।
4. विभागीय वेबसाईट हेतु।

9/2
(डॉ. अनिल चंदोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135–2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांक: /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–17/2010 दिनांक 12 फरवरी, 2021

कार्यालय–आदेश

कार्य आवंटन सम्बन्धी पूर्व में निर्गत आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नांकित कार्मिकों के मध्य निम्नानुसार कार्य आवंटित किया जाता है:–

क्र. सं.	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	तैनाती प्रभाग / शाखा का नाम	आवंटित कार्य
01	श्री पान सिंह विष्ट **वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी**	विज्ञापन प्रभाग	1. विज्ञापन एजेंसियों की सूचिबद्धता से संबंधित समस्त कार्य। 2. प्रदेश से बाहर के समस्त समाचार पत्र एवं पत्रकाओं के विज्ञापन प्रस्ताव तथा भुगतान से संबंधित समस्त कार्य। 3. अपने पटल से संबंधित सूचना अधिकार एवं मुकदमों का समस्त कार्य। 4. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य। **नोट:– समस्त पत्रावलियॉं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री चन्द्र सिंह तोमर के माध्यम से उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत की जाएगी।**
02	श्री रणजीत सिंह बुदियाल वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	विज्ञापन प्रभाग	1. पूर्व में आवंटित कार्यों के साथ–साथ वर्गीकृत विज्ञापन जारी करने संबंधी समस्त कार्य। 2. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
02	श्री संजय सिंह **अनुवादक**	**लेखा प्रभाग**	1. लेखा प्रभाग से सम्बन्धित टंकण एवं बिलों को ऑनलाईन तैयार करने सम्बन्धी कार्य। 2. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
03	कु. रीनू **व्यैक्तिक सहायक**	निरीक्षा शाखा	1. प्रतिदिन विभिन्न समाचार पत्र/पत्रिकाओं में प्रकाशित सम्पादकीय, लेख आदि की समीक्षा/आख्या तैयार कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने संबंधी कार्य। 2. निरीक्षा शाखा में टंकण से संबंधित कार्य। 3. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य। **नोट:– समस्त पत्रावलियॉं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री मोहन सिंह स्यूनरी के माध्यम से उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत की जाएगी।**
04	श्री भरत सिंह रावत **वरिष्ठ सहायक**	लेखा प्रभाग	1. लेखा प्रभाग से सम्बन्धित टंकण एवं बिलों को ऑनलाईन तैयार करने सम्बन्धी कार्य। 2. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
04	श्रीमती संतोषी नेगी **वरिष्ठ सहायक**	विज्ञापन प्रभाग	1. पूर्व में आवंटित कार्यों के साथ–साथ विज्ञापन प्रभाग के संदर्भदाता का कार्य। 2. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य काय।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक
कृते महानिदेशक

संख्या: 171 (1)/सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–17/2010, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त विभागीय अधिकारी/प्रभाग/शाखायें, मुख्यालय।
3. संबंधित कार्मिकों को।
4. संबंधित कार्मिकों की निजी पत्रावली हेतु।
5. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135–2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांक: /सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–03/2001 दिनांक 20 मार्च, 2021

कार्यालय आदेश

कार्य आवंटन सम्बन्धी पूर्व में निर्गत आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नांकित अधिकारियों के मध्य निम्नांकित कार्य अतिरिक्त रूप से आवंटित किये जाते हैं:–

क्र.सं.	अधिकारी का नाम/पदनाम	आवंटित कार्य
1.	श्री आशिष कुमार त्रिपाठी **संयुक्त निदेशक**	होर्डिंग्स/आउटडोर से संबंधित कार्य हटाते हुए व्यवस्था शाखा तथा निरीक्षा शाखा का कार्य अतिरिक्त रूप में आवंटित किया जाता है। पूर्व में आवंटित शेष कार्य यथावत रहेंगे।
2.	श्री के. एस. चौहान **उपनिदेशक**	पूर्व में आवंटित कार्यों के साथ–साथ होर्डिंग्स/आउटडोर से संबंधित समस्त कार्य अतिरिक्त रूप में आवंटित किया जाता है। पूर्व में आवंटित अन्य कार्य यथावत रहेंगे।
3.	श्री नितिन उपाध्याय **उपनिदेशक**	पूर्व में आवंटित कार्यों के साथ–साथ विज्ञापन फिल्मों का निर्माण एवं भुगतान से संबंधित पत्रावलियों तैयार कराने का कार्य तथा एस.एम.एस. वॉईस कॉल, रेडियो, विभागीय स्टूडियो तथा इंटरेक्शन वीडियो टैक्नोलॉजी से संबंधित समस्त कार्य अतिरिक्त रूप में आवंटित किया जाता है। पूर्व में आवंटित अन्य कार्य यथावत रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

संख्या: 330 (1)/सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–03/2001, तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागीय अधिकारी/प्रभाग/शाखायें, मुख्यालय।
3. संबंधित अधिकारी।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय–महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, (निकट वाणिज्य कर विभाग) देहरादून

E-mail : ufdc2015@gmail.com दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334
Website : www.uttarainformation.gov.in

पत्रांक : 29 / सू.एवंलो.सं.वि.(सोशल मीडिया)62 / 2019 दिनांक : 11 अगस्त, 2020

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन, सूचना अनुभाग के शासनादेश संख्या–140 / **XXII-1** / 2020–4 (11) / 2014, दिनांक 22 जुलाई, 2020 द्वारा राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं नीतियों का सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार के कार्य एवं राज्य में सोशल मीडिया कम्यूनिकेशन हब की स्थापना हेतु "ब्राडकास्ट इंजीनिरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, (बेसिल)" नोएडा उ.प्र. के चयन तथा बेसिल द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना, कॉस्ट ब्रेकअप एवं तत्संबंधी एम.ओ.यू. के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृति के क्रम में MoU में उल्लेखित शर्तों के अनुसार बेसिल द्वारा सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब की स्थापना के संबंध में हुए अनुबंध पत्र की तिथि से 02 वर्ष हेतु बेसिल को संलग्न एम.ओ.यू. के प्रस्तर–03 के बिन्दु–3.1 में उल्लेखित **Annexure "A"** के अनुसार कॉस्ट ब्रेकअप (Cost Breakup) के अनुसार भुगतान किया जायेगा जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

Cost Break-Up					
	Description	**Monthly Cost**	**No. of Resources**	**Total Monthly Cost**	**Total Annual Cost**
Manpower	**Social Media Strategist cum Project Manager**	120000	2	240000	2880000
	Graphic Designer	60000	4	240000	2880000
	Content Writer and Translator	48000	3	144000	1728000
	Social Media Consultants	60000	8	480000	5760000
	Videographer	42000	2	84000	1008000
	Photographer	42000	2	84000	1008000
	Office Boy	15000	1	15000	180000
	IT Support Executive	25000	1	25000	300000
Logistic	**Innova Car for Events Coverage (Rent + Fuel + Driver Salary - INR 75000)**	75000	0	75000	900000
	Boarding and Lodging for Events within Uttarakhand- (Accomodation- 5*2000 + Food - 5*2000 + Out of Pocket Expenses - 5*1000). Assumption: An average of 5 events in a month shall be covered where night stay would be required.	25000	0	25000	300000
Software	**Monthly Subscription of Social Listening, Response Management and Trend Analysis Software - Monthly Subscription**	205000	0	205000	2460000
	Monthly Subscription of Other Softwares for All Employees and Graphic Designers (Adobe Creative Cloud (4 Nos.) - INR 22000, MS Office (22 Nos.) - INR 22000)	44000	0	44000	528000

Hardware	Monthly Rent for Hardware (22 Laptops / Desktops - INR 33000, 4 TV - INR 6000, 2 iPad - INR 2000, 2 Printers and Consumables - INR 15000 and 12 Mobile Phones - INR 6000)	62000	0	62000	744000
Sub-Total Amount (Manpower+Logistic+Software+Hardware)				**1723000**	**20676000**
BECIL Service Fee @ 6%					1240560
Sub-Total Amount (Exclusive of GST)					21916560
GST@18%					3944981
Total Amount					**25861541**

3. उपरोक्तानुसार बेसिल द्वारा संलग्न **MoU** (अनुबंध पत्र) में निहित शर्तों के अनुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा फर्म को आवंटित कार्य के निष्पादन अवधि में भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी विधान कानून का उल्लंघन करने वाली सामाग्री के पाये जाने पर समस्त कानूनी वैधानिक जवाबदेही फर्म की होगी। सूचना विभाग की कोई जवाबदेही नही होगी। भारत सरकार के आई.टी. एक्ट तथा अन्य सुसंगत कानूनों का पूर्णतः पालन करना फर्म की जिम्मेदारी होगी। बीजक का भुगतान बजट की उपलब्धता पर किया जायेगा। किसी भी दशा में विवाद के लिए न्याय क्षेत्र देहरादून होगा। उक्त कार्य हेतु तैनात किये गये कार्मिकों का पूरा विवरण फर्म द्वारा विभाग को उपलब्ध कराना होगा।

संलग्न :– **MoU** (अनुबंध पत्र)।

भवदीय,

(डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक

संख्या : 29 / सू.एवंलो.सं.वि.(सोशल मीडिया)62 / 2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, सूचना उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, देहरादून।
3. आहर वितरण अधिकारी, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, देहरादून।
4. **श्री मजहर उमर,** महाप्रबंधक, ब्राडकास्ट इंजीनिरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, बेसिल भवन, सी.56 / ए.17, सैक्टर–62, नोएडा–201307 उ.प्र.।

(डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक